

पीएम नरेंद्र मोदी और बड़ा सोचने की उनकी ताकत



अमिताभ कांत

यह कहकर ठुकरा दिया था कि ऐसी परियोजना के लिए 150 वर्ग किलोमीटर ज़मीन तय करना बहुत जोखिम भरा और मुश्किल काम है. फिर मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के दफ्तर पहुँचा. श्री नरेंद्र मोदी ने मेरी बात सुनी, पाँच मिनट तक सोचा और कहा, ‘ 150 वर्ग किलोमीटर तो बहुत कम है. ‘

उन्होंने मुझसे कहा, ‘ अगर सपना देखना है, तो बड़ा सपना देखो. ‘

सोएममोदी ने 750 वर्ग किलोमीटर ज़मीन देने की पेशकश की और 2009 तक गुजरात सरकार ने विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) एक्ट लागू कर दिया और मास्टर प्लान के साथ धोलेरा एसआईआर की आधिकारिक घोषणा कर दी. उस पहली बातचीत से मुझे उनकी सोच के दायरे का पता चला. उनकी सोच का दायरा बहुत बड़ा था. वे ज़मीन को कोई रुकावट या किसी परियोजना को अलगकाम के तौर पर नहीं देखते थे. वे गुजरात और समय के साथ पूरे भारत के लिए विकास का एक नया इंजन बनाने की संभावना देख रहे थे. वे मेरे करियर में मिले सबसे दूरदर्शी और भविष्य की सोच रखने वाले नेताओं में से एक थे और आज भी हैं.

इसके कुछ समय बाद, मैंने दो वाइब्रेंट गुजरात समिटमें हिस्सा लिया और एक विकसित, गतिशील और विश्व-स्तरीय राज्य बनाने के लिए उनके ज़बरदस्त जुनून को देखा. वे चाहते थे कि गुजरात भारत का सबसे

आधुनिक राज्य बनेऔर उन्होंने बहुत साफ सोच और ऊर्जा के साथ इस लक्ष्य को पाने की कोशिश की.

2014 तक, केंद्र में नई सरकार आ गई थी और श्री मोदी मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे. उस समय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव के तौर पर, मैं उन शुरुआती अधिकारियों में से एक था, जिन्होंने उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया था. विश्व बैंक की ईजू ऑफ़ डूइंग बिजनेसरैंकिंग में भारत को 142वें स्थान पर देखकर वे काफीनिराश हुए, उन्होंने हमसे एक ही मिशन पर ध्यान देने को कहा- भारत को अपने नागरिकों और व्यवसायों के लिए ज़्यादा आसान, सरल और बेहतर बनाना.

इस तरह अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में कड़ी मेहनत का दौर शुरू हुआ. हमने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड,वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर काम किया और पुराने नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं और अधिनियमों को हटाने पर भी फोकस किया. विभागों की सोच बदलना मुश्किल था, लेकिन हम डटे रहे और आखिरकार सफल हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद सबसे ऊपर से इस कोशिश को आगे बढ़ाया. आखिरकार, भारत रैंकिंग में 79 स्थान ऊपर आ गया.

इसके कुछ ही वक्त बाद होहमने मेक इन इंडियापर प्रधानमंत्री के सामने कई प्रस्तुतिकरण दिए. उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसे रोजगार पैदा करना होगा, खुशहाली लानी होगी और तेज़ी से विकास करना होगा. इसी सोच के साथ मेक इन इंडियाकी शुरुआत हुई. आज, यह सोच कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षमता के रूप में फैल चुकी है—मोबाइल फोन (जिसमें भारत दुनिया में

दूसरे नंबर पर है) और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल और ईवी, दवाएँ, रक्षा उपकरण, सोलर मॉड्यूल, टेलीकॉम और इंजीनियरिंग के सामान तक. वे युवा भारतीयों को उद्यमी बनाने के लिए भी उतने ही दृढ़ थे. जब स्टार्टअप इंडियाअभियान शुरू हुआ, तो भारत में केवल 356 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे.

आज यह संख्या तीन लाख से ज़्यादा हो चुकी है. लॉन्च के समय, प्रधानमंत्री ने पूरा दिन युवा उद्यमियों के साथ बातचीत करने, उनके विचार सुनने, उनकी चिंताओं को समझने

और उन्हें पारंपरिक सोच की सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करने में बिताया. तब से वह लगातार स्टार्टअप्स के साथ जुड़े रहे हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि उद्यमशीलता का अर्थ युवा भारतीयों को समस्याएँ सुलझाने, जोखिम उठाने और अपनी शर्तों पर भविष्य बनाने का आत्मविश्वास देना भी है. पीएममोदी के लिए, संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है. वे तकनीक की गहरी समझ रखने वाले नेताओं में से एक हैं और उनमें नई-नई तकनीक को अपनाने और उनसे जुड़ने की अद्भुत क्षमता है. नई और आधुनिक प्रौद्योगिकी में उनके भरोसे के साथ-साथ, वे ऐसी नीतियां और संस्थागत माहौल बनाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे भारतीय उद्यमी विकास के इन नए क्षेत्रों में काम कर सकें. उनके नेतृत्व में, भारत ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, ड्रोन, रक्षा और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्रों में बहुत सारे अवसर पैदा किए हैं. चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 जैसे भारत के स्पेस मिशन की सफलता के साथ-साथ, एक मजबूत ब्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम की उभरा है. इसके साथ ही, भारत का ड्रुड्रुड्रुड्रुमिशनऔर नेशनल क्वांटम मिशन, एआईऔर क्वांटम टेक्नोलॉजी में देश की अपनी क्षमताएं विकसित कर रहे हैं. ये मिशन

तकनीक के क्षेत्र में सबसे आगे रहने के लिए जरूरी अवसरचना, अनुसंधान प्रणाली और प्रतिभाओं को तैयार कर रहे हैं. लेकिन, जहाँ पीएमतकनीक-आधारित भविष्य में विश्वास रखते हैं, वहाँ वे अपनी विरासत का भी सम्मान करते हैं. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशनजैसी पहलों के जरिए सतत विकास में भारत का नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि भारत का विकास और तरक्की पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो. बहुत से भारतीयों के लिए, यह उद्यमशीलता वाली सोच भारत में डिजिटल पेमेंट की दुनिया में तेज़ी से हुई बढ़ोतरी की वजह से ही मुमकिन हो पाई. एक दशक पहले, रोज़मर्रा के लेन-देन में कैश और भारी-भरकम कार्ड का ही बोलबाला था,डिजिटल ट्रांसफर धीमी और महंगी प्रक्रिया थेऔर ज़्यादातर छोटे व्यापारियों और पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की पहुँच से बाहर थे. जो बदलाव आया, वह सोच-समझकर और पूरी व्यवस्था को साथ लेकर की गई कोशिशों का नतीजा था. प्रधानमंत्री ने कम-कैश वाली अर्थव्यवस्थाको बढ़ावा दिया,रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने विनियामक फ्रेमवर्क को मजबूत किया, एनपीसीआईने यूपीआई को डिज़ाइन करके लॉन्च कियाऔर बैंकों, फिनटेक कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों और व्यापारियों ने मिलकर एक खुला और आपस में जुड़ने वालापेमेंट सिस्टम बनाया. उन्होंने हमारी टीम को 100 दिनों में 100 डिजिटल मेले आयोजित करने की चुनौती दी. उस ज़बरदस्त कोशिश ने यूपीआईकी शानदार बढ़ोतरी के लिए माहौल बनाने में मदद की. वित्त वर्ष 2016-17 में सिर्फ़ 1.78 करोड़ यूपीआईट्रांज़ैक्शन से बढ़कर, यह सिस्टम अब साल में 24,000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन संभालता है. यानी वॉल्यूम में 13,000 गुना से ज़्यादा और मूल्य में 4,000 गुना बढ़ोतरी. भारत ने सात साल में वह हासिल कर लिया, जिसे करने में शायद 50 साल लग जाते.

(लेखक भारत के पूर्व जी20 शेरपा और नीति आयोग के सीईओ और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के पूर्व सचिव हैं.)

व्यंग

प्राचीन समय में भारत एक कृषि प्रधान देश था.आज भारत एक



राजनीति प्रधान देश बन गया है. मालवा क्षेत्र के बारे में एक पुरानी कहावत प्रचलित है -

मालव धरती गहन गंभीर डग रोटी पग पग नीर.उसकी जगह अब यह कहावत हो गई है भारत धरती गहन गंभीर डग डग नेता और पग पग पॉलिटेक्स. इस कृषि प्रधान देश की कृषि से जुड़ी एक और बहुत पुरानी कहावत है सांडों की लड़ाई में बागडू का नाश.ऐसा ही नज़ारा इन दिनों देश की सियासत में देखने को मिल रहा है. सियासी सांडों द्वारा अपनी लड़ाई में हमारे रिश्तों को भी घसीटा जा रहा है. पक्ष ने अपने ऊपर विपक्ष द्वारा किया जा रहे सियासी हमलों की तुलना नाराज फूफ़ा से कर डाली है.पक्ष विपक्ष की लड़ाई में पहले से ही अपनी उपेक्षा से दुःखी बेचारे निरीह फूफ़ा को फ़जीहत हो रही है. अरे भाई तुम आपस में एक दूसरे की ख़ूब लानत मलामत

फजीहत फूफा की

चलिए अब बात फूफा की कर लेते हैं . तो भाइयों यह वह प्राणी होता है जो अपनी ससुराल में सबकी आँखों का तारा और दुल्हा राजा बन कर आया था. राजसी सम्मान प्राप्त व्यक्ति था लेकिन कुछ सालों के बाद जब जिस व्यक्ति का इसे जीजा जीजा कहते हुए मुंह नहीं सूखता था उस साला रुपी साले का दामाद बन कर जेन जी आया तो बेचारा धडाम से राजा रुपी सिंहासन से वैसे ही धकिया दिया गया जैसे 50-60वर्षों से सत्ता पर काबिज पार्टी का नेता अपना राज पाट खोने पर सड़क पर आ जाए. ऐसा ही समाज में पुराने दामाद के साथ हो जाता है. साले की बेटीयों और बेटों के मार्फ़त उसे जो ओहदा मिलता है उसे ही फूफ़ा कहते हैं. नए रिश्ते के चलते अपने हास या अवमूल्यन से बेचारा जीवन भर दु:खी रहता है और ससुराल पक्ष में उपेक्षा का शिकार बना रहता है. यह राजपाट छिन जाने का अन्सर है. उसका जीवन किसी विपक्ष के नेता जैसा हो जाता है उसका बोलना भी सत्ता सिंहासन पर बैठ नए नवेले दामाद को आउट डेटेड लगता है. जी टीवी पर टीवी सीरियल आया था सास भी कभी बहु थी इसमें बहु सास बनने पर अपनी बहु से उसी तरह का व्यवहार करती है जो अतीत में उसके साथ हुआ था. यही बात हमारे दु:खी पीड़ित फूफा के बारे में कही जा सकती है. फूफ़ा भी कभी जीजा था .जीजा का नया एडिशन फूफ़ा बनने पर बेचारा निरीह फूफ़ा मुंह नहीं फुलाए तो भला क्या करे. पहले तो उसे ससुराल में फूला फूला कर राजा होने का एहसास करा दिया और बाद में नज़र अंदाज करोगे तो क्या वह मुंह भी न फुलाए.

करो.बेचारे फूफ़ा को तो बख्शा दो. वो तो बेचारा पहले से ही वक्त का मारा -ससुराल में उपेक्षा का शिकार होता है. वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसका पुराना राजपाट, वैभव और शान शोकत छीन लिया गया है. ऊपर की पंक्तियों में सांड का जिक्र किया गया है.आगे बढ़ने से पहले महानगरों में पलने वाले जेन जो और जेन अलफ़ा वर्ग के युवा शायद सांड नामक प्राणी से अनजान हो सकते हैं. क्योंकि महानगरों में विभिन्न विदेशी प्रजातियाँ कुत्ते अधिक पाले जाते हैं.फ्लेट कल्चर के चलते वहाँ गो पालन वैसे भी पूर्णतः अव्यवहारिक होता है. तो उन्हें बतला दें कि गाय का पुत्र बैल कहलाता है. बैल से भला कौन नहीं परिचित होगा. आज कल सियासत में बैल बुद्धि शब्द बड़ा प्रचलन में है. किसी को मुख़ कहने कि जगह उसे बैल बुद्धि कहा जाने लगा है. वैसे बता दें कि पहले के ज़माने में कृषि और सियासत में बैलों का बड़ा महत्त्व रहा है. देश पर कई दशकों तक

राज करने वाली पहली पार्टी का चुनाव निशान ही दो बैलों की जोड़ी था.आज उसी पार्टी के नेता को बैल बुद्धि कह कर चिंगाया जाता है. बैल दो तरह के होते हैं एक सीधा -साधा तो दूसरा मरखना होता है जो बात -बात पर सींग मारने लगता है.

हाँ तो बात सांड की चल रही थी, तो सांड वह गौ -पुत्र होता है जो पूर्णतः प्रजनन क्षमता से परिपूर्ण होता है. जबकि इसके उलट बैल को शुरू से बंधिया कर दिया जाता है अर्थात उसकी नसबंदी कर दी जाती है. वह जीवन भर अविवाहित ही रहता है. यह बैल मध्यम वर्ग के समान सिर झुका कर जिन्दगी भर काम करता रहता है.कोई गिला शिकवा नहीं.इसके बर-खिलाफ सांड हट पुष्ट लंबा तमाड़ा पहलवान स्टाइल का होता है. उससे गौ वंश बढ़ाने का काम में लिया जाता है.वह अड़ियल भी होता है, जहाँ एक बार अड़ गया तो अड़ गया कोई उसे उसके रास्ते से डिगा नहीं सकता है. इसके शरीर की बनावट ऐसी होती है जैसे उसने जिम ज्वाइन सिक्स पेग बनाए हों. कुछ कुछ सांड तो जुड़ो -क्राटे भी सकते हैं. इसके शरीर की बनावट ऐसी होती है जैसे उसने जिम ज्वाइन सिक्स पेग बनाए हों. कुछ कुछ सांड तो जुड़ो -क्राटे भी सकते हैं. यह विभिन्न रंगों में मिल सकता है पर ये अधिकतर सफ़ेद रंग का होता है.

कानून कायदों की धज्जियां उड़ाते कोचिंग सेंटर और पीजी हॉस्टल



कोचिंग संस्थानों की दुर्गवस्था के बाद अब पीजी हॉस्टल मौत के कुएं बन रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली में एक पीजी हॉस्टल ने देशवासियों का ध्यान खिंचा है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कानून कायदों की धज्जियां उड़ाते खतरनाक पीजी भरे पड़े हैं. तीन-चार फीट चौड़ी सड़कें, कहीं-कहीं तो 7-8 मंजिलों वाली इमारतें, यहां मौत का तांडव कभी भी हो सकता है. ये जगहें खासतौर पर छात्रों को काराये पर दी जाती हैं. जहां-जहां अस्पताल हैं, उनके आसपास मरीजों के रिश्तेदारों के लिए गेस्ट हाउस बना दिए गए हैं, जिनके

रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले चार साल में ऐसे 133 हादसे हुए, 1133 इमारतें गिरी, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है लेकिन हर बार कुछ अफसरों का निलम्बन और जांच का एलान होता है. लेकिन असेध इमारतें बनती रहती हैं . देर सबेर ही सही अब दिल्ली सरकार भी चेती है . दिल्ली सरकार शहर में ‘पेंडंग गेस्ट’ (पीजी) आवास और कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए डेढ़ महीने में एक व्यापक नीति और वेब पोर्टल तैयार करेंगी . नीति को अंतिम रूप देने से पहले सरकार पीजी प्रबंधन, माता-पिता, एजेंसियों, छात्र संगठनों और पानी तथा बिजली से जुड़े विभागों समेत विभिन्न संबंधित पक्षों की राय लेगी .

चारों तरफ केमिस्ट की दुकानें और डायनोस्ट्रिक सेंटर मिलेंगे. जहां छात्रों के पीजी और मरीजों के रिश्तेदारों के गेस्ट हाउस होते हैं, वहां ढाबे, दुकानें खुल जाती हैं. देशभर में हजारों पी जी हॉस्टल और कोचिंग सेंटरों में न तो पर्याप्त अग्निशमन की व्यवस्था है और ना ही दूसरी सुविधाएं. विभिन्न गली मुहल्लों में कई मंजिलों में ऐसे हॉस्टल चल रहे हैं. ऐसे हॉस्टलों के संचालकों को न तो छात्रों की चिंता है और ना ही अधिकारियों का भय. इन हॉस्टलों के पास अच्छे उपस्कर, स्वच्छ

वातावरण, अग्निशमन की व्यवस्था, आकस्मिक चिकित्सा और पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं भी नहीं है. सैकड़ों स्थल बिना इजाज़त चल रहे हैं. इन हॉस्टलों में एक के बाद एक मंजिल बनाकर छात्रों को दी जा रही है. बहुत सी जर्जर अवस्था में हैं. इन स्थलों की बदहाली के लिए संचालकों के साथ अभिभावक भी जिम्मेदार है. अपने खून पसीने की कमाई से माँ बाप अपने बेटे बेटी का भविष्य सँवारने का कार्य करते है. हॉस्टल में भर्ती करने से पहले उसकी सुख सुविधा को भी देखा

जाना चाहिए, यह भी देखा जाना चाहिए की भवन निर्माण की दृष्टि से ठीक है या नहीं. बिजली व्यवस्था कैसी है. भवन के ऊपरी स्थल तक सुविधा पूर्वक जाया जा सकता है या नहीं. सब से महत्वपूर्ण यह है आपात स्थिति में बच्चों के बाहर निकलने की व्यवस्था कैसी है. जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जावे तभी अपने बच्चे को ब्रह्म में भेजे. केवल पढाई को ही नहीं देखे साथ में अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेना जरुरी है ताकि दिल्ली जैसी दुर्घातिका को रोका जा सके. कोचिंग संस्थानों और होटलों ने लोगों का सुख चैन छीन लिया है. बिना किसी अत्यावश्यक सुविधा के चलने वाला यह व्यवसाय जिस प्रकार संचालित हो रहा है वह शासन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है. लगता है किसी को कोई धंधा नहीं मिले तो ये धंधे तो लाभकारी हैं ही. इसके लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

भाग 5 मैं भारत का नागरिक हूँ



डॉ. अंकिता त्रिपाठी

है. समाज बदलता है, तकनीक बदलती है, नागरिकों की अपेक्षाएँ बदलती हैं और उनके साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी स्वयं को विकसित करना पड़ता है.

इसी बदलती परिस्थिति में एक प्रश्न सामने आता है—क्या अब भारत को प्रतिनिधि लोकतंत्र के अगले चरण की ओर बढ़ने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए? यह अगले चरण का अर्थ वर्तमान संसद, विधानसभा या चुनाव व्यवस्था को समाप्त करना नहीं है. इसका अर्थ यह है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ सहभागी लोकतंत्र की नई

लोकतंत्र 2.0 – भारत में सहभागी लोकतंत्र का नया मॉडल

मतदाता से सहभागी नागरिक तक –क्या तकनीक भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दे सकती है ?

परत जोड़ी जाए. नागरिक केवल पाँच वर्ष में एक बार अपना प्रतिनिधि चुनने वाला मतदाता न रहे, बल्कि पूरे कार्यकाल में नीति, कानून और स्थानीय शासन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखने वाला सहभागी नागरिक बने.

इसी अवधारणा को हम ‘लोकतंत्र 2.0’ कह सकते हैं.

भारत में जनभागीदारी की भावना कोई नई अवधारणा नहीं है. हमारी ग्रामसभा, पंचायत और चौपाल की परंपरा में स्थानीय समाज अपने विषयों पर विचार-विमर्श करता रहा है. गाँव के लोग अपनी समस्याएँ रखते थे, एक-दूसरे की बात सुनते थे और सामुदायिक हित में निर्णय की दिशा तय करते थे. आज देश का आकार और शासन व्यवस्था इतनी विशाल हो चुकी है कि वही प्रक्रिया उसी रूप में लागू नहीं की जा सकती. लेकिन उसकी मूल भावना— ‘जिस पर निर्णय का प्रभाव पड़े, उसकी आवाज भी सुनी जाए’—आज भी उतनी ही प्रासंगिक है.

अंतर केवल माध्यम का है. कभी चौपाल थी, आज डिजिटल तकनीक है. आज एक नागरिक मतदान केंद्र पर जाकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है. इसके बाद वह पाँच वर्षों तक उस प्रतिनिधि के निर्णयों का मुख्यतः दर्शक बना रहता है. संसद

भारत में लोकतंत्र की अगली क्रांति शायद किसी नई राजनीतिक पार्टी के जन्म से नहीं, बल्कि नागरिक और शासन के बीच नए संबंध के निर्माण से आएगी.

- एक ऐसा संबंध जिसमें नागरिक चुनाव के दिन शक्तिशाली हो और चुनाव के बाद भी अप्रासंगिक न हो .
- एक ऐसा संबंध जिसमें प्रतिनिधि स्वतंत्र हो, लेकिन जवाबदेही से मुक्त न हो.
- एक ऐसा संबंध जिसमें सरकार बहुमत से कानून बनाए, लेकिन जनता की आवाज सुनने से इनकार न करे.
- एक ऐसा संबंध जिसमें तकनीक नागरिक की निगरानी का माध्यम नहीं, बल्कि उसकी भागीदारी का माध्यम बने.
- एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें चौपाल की आत्मा और डिजिटल युग की तकनीक एक साथ दिखाई दें .

यही लोकतंत्र 2.0 का मूल विचार है—

‘वोट से प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व से संवाद, संवाद से सहभागिता और सहभागिता से जवाबदेही.’ यदि भारत इस दिशा में सावधानीपूर्वक, संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में वह केवल सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि सबसे व्यापक सहभागी लोकतंत्र का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत कर सकता है .

अंततः लोकतंत्र का प्रश्न केवल यह नहीं है कि सत्ता किसके पास है ?

सत्ता प्रश्न यह है—

सत्ता में जनता की आवाज कितनी है ? और लोकतंत्र 2.0 का उतर होना चाहिए—

जनता केवल सत्ता चुनती नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निरंतर सहभागी भी होती है .

में कानून बनते हैं, नीतियाँ तय होती हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णय लिए जाते हैं. नागरिक को उनके बारे में जानकारी मिलती है, वह समर्थन या विरोध कर सकता है, लेकिन उसकी सामूहिक राय को नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने की कोई व्यापक और निरंतर व्यवस्था अभी विकसित नहीं हुई है. यहीं लोकतंत्र 2.0 की आवश्यकता

दिखाई देती है.

कल्पना कीजिए कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र डिजिटल जनसभा हो. उस क्षेत्र के सत्यापित नागरिक उससे जुड़ सकें, वे अपने क्षेत्र की समस्याएँ दर्ज कर सकें, महत्वपूर्ण विधेयकों पर अपनी राय दे सकें, अपने सांसद की संसदीय गतिविधियों को देख सकें और यह जान सकें

कि उनके द्वारा उठाए गए विषयों पर क्या कार्रवाई हुई.

इससे नागरिक और प्रतिनिधि का संबंध चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा. चुनाव के बाद भी दोनों के बीच एक निरंतर संवाद बना रहेगा.

लोकतंत्र 2.0 का पहला सिद्धांत यही हो सकता है—‘ मतदान के बाद भी नागरिक की लोकतांत्रिक भूमिका समाप्त नहीं होती. ’

दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कानून निर्माण है. संसद में कोई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत होने पर उसकी जानकारी नागरिकों के लिए सरल भाषा में उपलब्ध कराई जा सकती है. उसके उद्देश्य, प्रमुख प्रावधान, संभावित प्रभाव तथा पक्ष-विपक्ष के तर्क सामने रखे जा सकते हैं. विशेषज्ञों की राय भी उपलब्ध कराई जा सकती है. इसके बाद प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के सत्यापित नागरिक अपनी राय दर्ज कर सकते हैं.

यह जनमत संसद के निर्णय को स्वतः बाध्यकारी न बनाए, बल्कि सांसद के लिए संस्थागत जनपरामर्श का आधार बने. सांसद संविधान, राष्ट्रीय हित, विशेषज्ञों की राय और संसदीय बहस के आधार पर अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहे, लेकिन उसके सामने अपने निर्वाचन क्षेत्र की प्रमाणित जनभावना भी हो.